

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***  
**\*(पत्रांक-43/2026 दिनांक 12.02.2026)\***  
**\*दिनांक-12.02.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस  
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में दो अदद  
मोटरसाइकिल से 5 पेटी अवैध शराब(अंग्रेजी+देशी) के साथ कुल तीन  
अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/ निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध  
चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.02.2026 को थाना  
बरवापट्टी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल(वाहन सं0  
BR22Y1402) से 04 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (8 पीएम) बरामद करते  
हुए दो अभियुक्त क्रमशः 1.दशरथ यादव पुत्र जमदार यादव निवासी  
भवानीपुर थाना श्रीनगर पुजहां, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार 2.  
शकुनी कुमार पुत्र सुरज यादव निवासी श्रीनगर, थाना श्रीनगर, जनपद  
पश्चिमी चम्पारण, बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी  
के आधार पर मु0अ0सं0 016/2026 धारा 60/72 आबकारी  
अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

चेकिंग के क्रम में पुलिस द्वारा एक अन्य मोटरसाइकिल(वाहन सं0  
UP57AU3479) से 01 पेटी अवैध देशी शराब (बन्टी बबली) को बरामद  
करते हुए एक अभियुक्त राजेश चौधरी पुत्र रामउचित निवासी रामपुर  
बरहन टोला नारायनपुर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार  
किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0  
17/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक  
कार्यवाही की जा रही है।

**\*पंजीकृत अभियुक्त-\***

- 1-मु0अ0सं0 016/2026 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना  
बरवापट्टी जनपद कुशीनगर (अभि0 दशरथ व अभि0 शकुनी)
- 2-मु0अ0सं0 017/2026 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना  
बरवापट्टी जनपद कुशीनगर (अभि0 राजेश)

1. दशरथ यादव पुत्र जमदार यादव निवासी भवानीपुर, थाना श्री नगर पुजहां, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार
2. शकुनी कुमार पुत्र सुरज यादव निवासी श्री नगर, थाना श्रीनगर, जनपद पश्चिमी चम्पारण, बिहार
- 3- राजेश चौधरी पुत्र रामउचित निवासी रामपुर बरहन टोला नारायनपुर, थाना बरवापट्टी, जनपद कुशीनगर

#### \*बरामदगी विवरण-\*

1- चार पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 8PM, प्रत्येक पेटी मे 48 अदद, कुल 192 अदद पाउच, कुल मात्रा 34.56 लीटर, कुल मूल्य 23040 रुपया तथा एक मोटरसाइकिल नं0 BR22Y1402 बरामद (मु0अ0सं0 016/2026)

2- एक पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली, कुल 45 अदद, कुल मात्रा 09 लीटर, कुल मूल्य 2475 रुपया तथा एक मोटर साइकिल नं0 UP57AU3479 बरामद (मु0अ0सं0 17/2026)

#### \*अभिरुप राजेश चौधरी का अपराधिक इतिहास-\*

1. मु0अ0स0 027/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. मु0अ0स0 200/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

#### \*गिरफ्तार करने वाली टीम-\*

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 मोहन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 गौतम कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. का0 अखिलेश कुमार यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. का0 भैरो जायसवाल थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
6. का0 प्रदीप कुमार यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
7. का0 कमलेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
8. हो0गा0 नन्दलाल गुप्ता थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

#### \*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 34 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।



Edit with WPS Office

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-65 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-41, व्यक्ति- 105
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-37)

**\*सोशल मीडिया सेल\***

**\*जनपद कुशीनगर\***



Edit with WPS Office